तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज

राजस्व अपील संख्या 203/2021

अनवान

सोनाराम बनाम सोहनसिह व अन्य

दिनांक 22–6–2021

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2006 अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट अनवान सोनाराम वगैरा बनाम सोहनसिह वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 10–3–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगनं प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे कथन किया कि अपीलांट सोनाराम जो कि अनुसुचित जाति का भूमिहीन कृषक होने से उसे ग्राम बोगला मे आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श पर शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 10–7–1971 को अपील मे वर्णित खसरा नंबरान मे वर्णित अनुसार भूमि आवंटित की गई थी, परंतु गत तहसील खारची मे भू प्रबंध विभाग जोधपुर की कार्यवाही चल रही थी इसलिए अपीलांट को आवंटित भूमि के गत खसरा नंबर 331 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही हो सका परंतु कब्जा काश्त निरंतर अपीलांट सोनाराम का होते हुए रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने कपटपूर्ण तरीके से राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम दर्ज करवा ली जिसके संबंध मे अपीलांट सोनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 33/2006 अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर. टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट का बाबत वादी को खातेदार घोषित करने का प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–3–2021 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को खारीज कर दिया जिसे अपीलांट अधिवक्ता उक्त अपील के जरिये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 10–3–2021 को पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना को स्थगित करवाना चाहते है ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा धारा 88 एवं 92 ए आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय की अपील के सुनवाई के क्षेत्राधिकार पर विचार करते हुए आर.टी.एक्ट की धारा 88 एवं 92 ए के तहत मे पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील के प्रावधानो का भी अवलोकन किया । जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा उक्त वाद मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–3–2021 के विरूद्ध अपील का प्रावधान धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत संबंधित राजस्व अपील प्राधिकारी को होने से इस न्यायालय से किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही समझते हुए उक्त अपील वकील अपीलांट को सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने के आदेश पारित किये जाते है । उक्त मूल अपील अपीलांट अधिवक्ता को लौटाई जाये तथा इस न्यायालय के दायरा रजिस्टर से कम हो ।